


राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

विषय : निर्माण विभागों में ठेकेदारों का "Online Registration" की व्यवस्था लागू करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत निर्माण विभागों में "Enlistment of Contractors" का "Online System" विकसित करने हेतु निर्देशानुसार PWD को Nodal Coordinating Department बनाया जाना विनिश्चित किया गया है। PWD अन्य निर्माण विभागों से परामर्श करके पूर्ण कार्ययोजना/रूपरेखा तैयार कर वित्त विभाग को सहमति हेतु प्रस्तुत करेगा। वित्त विभाग की सहमति उपरांत PWD द्वारा यह प्रक्रिया पूर्ण की जाकर सभी निर्माण विभागों में "Online Registration of Contractors" की व्यवस्था लागू की जा सकेगी।

  
(रामावतार शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग  
शासन सचिव, जल संसाधन विभाग

अशा.टीप सं. प. 4 (37) वित्त/साविलेनि/2016  
जयपुर, दिनांक: 18-11-2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
2. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन/जन स्वा. अभियांत्रिकी/भू-जल विभाग।
4. मुख्य लेखाधिकारी, वित्त (SPFC) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव